

**कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी (म0प्र0)**

पृष्ठांकन क्रमांक B/4299 / एक-15-1 / 96

शिवपुरी, दिनांक 29 / 11 / 2024

**प्रतिलिपि यथाआदेश :-**

प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की ओर आपके न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 846 दिनांक 28.11.2024 से प्राप्त माह दिसम्बर-2024 हेतु रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत मूलतः प्रेषित।

**संलग्न :-** उपरोक्तानुसार।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी, म0प्र0।

**न्यायालय : रवि कुमार बौरासी, प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी म.प्र.**

क्रमांक— .....

शिवपुरी दिनांक—28.11.2024

**—:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::—**

मैं रवि कुमार बौरासी, प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म0प्र0 नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह दिसंबर-2024 में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों/जांच एजेंसियों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाता हूँ :-

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं स्थान	स्थान	माह दिसम्बर के पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश दिनांक
1	2	3	4
1	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	01-12-2024
2.	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	21-12-2024
3.	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	29-12-2024
4	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	08-12-2024
5.	सुश्री प्रिया शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	15-12-2024
6.	सुश्री निहारिका व्यास न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	22-12-2024 25-12-2024

7.	श्री प्रशांत पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।	कोलारस	01-12-2024 08-12-2024
8.	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।	कोलारस	15-12-2024 21-12-2024
9	श्री धर्मवीर सिंह राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।	कोलारस	22-12-2024 25-12-2024 29-12-2024
10.	श्रीयुत श्रीकृष्ण बुखारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	01-12-2024 08-12-2024
11.	श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	15-12-2024 21-12-2024
12.	सुश्री काजल रेनीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	22-12-2024 25-12-2024
13.	श्रीमती श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	29-12-2024
14.	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	01-12-2024 08-12-2024 15-12-2024 25-12-2024
15.	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	21-12-2024 22-12-2024 29-12-2024
16.	श्री भूपेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियांधाना, जिला शिवपुरी	खनियांधाना	01-12-2024 08-12-2024 25-12-2024
17	सुश्री मोनिका वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	खनियांधाना	15-12-2024 21-12-2024

	खनियांधाना, जिला शिवपुरी		22-12-2024 29-12-2024
18.	श्रीमती अंजली पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी	पोहरी	01-12-2024 08-12-2024 25-12-2024
19	सुश्री काजल नायक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी	पोहरी	15-12-2024 21-12-2024 22-12-2024 29-12-2024


नोट :-


01. यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट किसी कारणवश किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य स्थापित कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने की प्राप्त कर ली गयी है, इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को अनिवार्यतः देंगे।
02. यदि माह **दिसम्बर 2024** में किसी कार्य दिवस को अवकाश घोषित किये जाने की दशा में तथा पूर्व से घोषित ऐसे स्थानीय अवकाश बावत् या अन्य किसी प्रकार के अवकाश बाबत् जिसके बारे में इस आदेश में उल्लेख नहीं हो सका है, उसके संबंध में जिला न्यायालय शिवपुरी में उक्त दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, जे0एम0एफ0सी0 शिवपुरी के द्वारा, न्यायालय कोलारस में श्रीमती रजनी मीरौठा, जे0एम0एफ0सी0 कोलारस द्वारा, न्यायालय करैरा में श्रीमती काजल रैनीवाल, जे0एम0एफ0सी0 करैरा के द्वारा, न्यायालय पिछोर में श्री अमनदीप सिंह छावड़ा जे0एम0एफ0सी0 पिछोर के द्वारा, न्यायालय खनियांधाना में श्री भूपेन्द्र तिवारी जे0एम0एफ0सी0 खनियांधाना द्वारा एवं न्यायालय पोहरी में श्रीमती अंजली पटेल जे0एम0एफ0सी0 पोहरी के द्वारा किया जावेगा।
03. यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा प्रशिक्षण पर प्रस्थान करता है एवं अन्य कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तब अंतिम विकल्प के रूप में उक्त मजिस्ट्रेट के स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी का

निष्पादन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निष्पादित किया जावेगा जो कि मूल संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024 के अनुसार उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

04. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादित किया जावेगा।
05. जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन किया जाना है, वह उक्त कार्य हेतु अपने न्यायालय के दो सक्षम कर्मचारी जो कि, शीघ्रता से कार्यवाही का निष्पादन कर सकें, उन्हें कार्य के दौरान उपस्थित होने के लिए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, से अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करके उनके सहयोग से कार्य का निष्पादन कर सकेंगे।
06. अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिन के 03.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जा सकेगा।

अनुमोदित

  
(Rajendra Prasad Soni)  
Principal District & Sessions Judge  
Shivpuri (M.P.)

  
रवि कुमार बोरसी  
प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जिला शिवपुरी म.प्र.